न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2025 दायर दिनांकः 21.02.2025

उनवान

1. कन्हैयालाल आयु 72 वर्ष पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 28.08.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 47 का ख0नं0 144 की 2.17 है0, ख0नं0 173 की 1.13 है0, ख0नं0 178/745 की 0.07 है0, ख0नं0 179/746 की 0.13 है0, ख0नं0 180 की 1.19 है0, ख0नं0 182 की 0.74 है0, ख0नं0 183 की 1.66 है0, ख0नं0 211 की 1.42 है0, ख0नं0 342 की 0.26 है0, ख0नं0 344/691 की 0.39 है0, ख0नं0 347 की 0.78 है0, ख0नं0 375 की 0.65 है0, ख0नं0 376 की 1.01 है0, ख0नं0 403/670 की 0.62 है0 कुल किता 15 की 12.49 है0 भूमि प्राथी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का नाम कान्हा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/18 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के अनुसार ग्राम व माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 242 की ख0नं0 136 की 0.30 है0, ख0नं0 309 की 0.03 है0, ख0नं0 364/678 की 1.23 है0, ख0नं0 582

की 0.81 है0, ख0नं0 617 की 0.49 है0 कुल किता 5 की 2.86 है0 भूमि प्राथी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का नाम काना पुत्र चन्दा हिस्सा 1/9 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खाता संख्या 47 की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से कान्हा पुत्र चन्दा एवं प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित खाता संख्या 242 की भूमि में काना पुत्र चन्दा सहवन से गलत दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र चन्दालाल है जो उसके परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी अंकित है। उक्त जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि ऋण लेने व अन्य राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसी वजह से प्रार्थी अपने वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र चन्दालाल के दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात लेकर अप्रार्थी के पास खाते में अपना नाम सही करवाने गया तो अप्रार्थी ने नाम दुरूस्ती से इन्कार करते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इस वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण प्रार्थी को खाते में अपना नाम गलत अंकित होने की जानकारी दिनांक 19.02.2025 को नकले प्राप्त करने पर होने पर एवं नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू के पास खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु जाने पर एवं उनके द्वारा मना करते हुए माननीय न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत करने की हिदायत देने पर प्रथम व अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र बमुकाम ग्राम जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि ग्राम जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से एवं प्रार्थी भी ग्राम जिरोद तहसील अटरू का निवासी होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित खाता संख्या 47 की एवं खाता संख्या 242 की भूमि में अंकित गलत नामों को दुरूस्त करते हुए उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र चन्दालाल दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2444 दिनांक 04.07.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 कन्हैयालाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 47 (प्रदर्श–1), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 242 (प्रदर्श–2), नकल नक्शा ट्रेस ग्राम जिरोद खाता संख्या 242 (प्रदर्श–3), नकल नक्शा ट्रेस ग्राम जिरोद खाता संख्या 41 (प्रदर्श–4), आधार कार्ड (प्रदर्श–5A), जनआधार कार्ड (प्रदर्श–6A), परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–7A), पेन कार्ड (प्रदर्श–8A), सरपंच ग्राम पंचायत जिरोद प्रमाण पत्र दिनांक 15.01.2024 (प्रदर्श–9A) व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

सरपंच ग्राम पंचायत जिरोद प्रमाण पत्र के अनुसार कन्हैयालाल पुत्र चन्दालाल व कान्हा पुत्र चन्दा जाति मीणा निवासी जिरोद उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 47 कुल किता 15 का कुल रकबा 12.49 है0 आराजी में सहखातेदार कान्हा पुत्र चन्दा के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र चन्दालाल उर्फ चन्दा तथा ग्राम व माल जिरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 242 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.86 है0 आराजी में सहखातेदार काना पुत्र चन्दा के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र चन्दालाल उर्फ चन्दा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 47 कुल किता 15 का कुल रकबा 12.49 है0 आराजी में

सहखातेदार कान्हा पुत्र चन्दा के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र चन्दालाल उर्फ चन्दा तथा ग्राम व माल जिरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 242 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.86 है0 आराजी में सहखातेदार काना पुत्र चन्दा के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र चन्दालाल उर्फ चन्दा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां